



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



8 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 702 राँची, बुधवार,

29 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-62/2014-24430 (HRMS)--श्री अमर जॉन आईन्द, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-253/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा के विरुद्ध उपायुक्त लातेहार के पत्रांक-688 दिनांक-18.06.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप गठित किया गया-

- (i) श्री अमर जॉन आईन्द द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान प्रखण्ड चन्दवा में वित्तीय वर्ष 2011-12 अंतर्गत सिद्धो-कान्हू आवास निर्माण हेतु चयनित 11 लाभुकों में से कुल 05 लाभुकों का गलत चयन किया गया ।
- (ii) श्री आईन्द के द्वारा गलत लाभुकों के चयन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है।
- (iii) श्री आईन्द के द्वारा उक्त कृत्य से उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा में आभाव को प्रदर्शित किया गया, जो साथ ही यह सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4378, दिनांक 20.07.2022 द्वारा श्री आईन्द से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री आईन्द के पत्रांक-232 दिनांक 17.5.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री आईन्द के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3725, दिनांक 23.07.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री आईन्द के पत्रांक-393/रा0, दिनांक 13.07.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा समर्पित तथ्य निम्नवत् हैं-

“उनके द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चन्दवा के पद पर कार्य करने के दौरान वित्तीय वर्ष 2011-12 में सिद्धो-कान्हू आवास योजना के सभी 11 लाभुकों का चयन ग्राम सभा द्वारा पारित प्रतीक्षा सूची से किया गया था, जो कामता पंचायत के मुखिया द्वारा ग्राम सभा से पारित किया गया था। इसका उन्होंने भौतिक सत्यापन किया था। सभी लाभुकों का BPL सूची में BPL संख्या दर्ज पाया गया। भौतिक सत्यापन के क्रम में सभी लाभुकों से पूछताछ की गई थी। कामता पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों तथा पंचायत सेवक द्वारा किसी प्रकार की कोई भी लाभुक की अनहर्ता के बारे में सूचना नहीं दी गई।

उनके द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। रद्द किए गए पाँच लाभुकों में से तीन लाभुकों का दिए गए राशि की वसूली कर ली गई है। साथ ही शेष दो लाभुकों को किसी प्रकार का कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया गया, जिसकी सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा के पत्रांक-982, दिनांक 15.06.2023 द्वारा दी गई है, अतः प्रस्तावित दण्ड से मुक्त की जाय।”

श्री आईन्द के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री आईन्द के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्य उप विकास आयुक्त के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि उनके कार्यालय से निर्गत स्वीकृत्यादेश जापांक-262/ डी०आर०डी०ए०, दिनांक 02.02.2012 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त सूची में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की होगी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सूची प्रेषित करने के पूर्व न तो गहण जाँच करायी गई और न अनुमोदन के बाद ही लाभुकों के साथ एकरारनामा के पूर्व स्वयं जाँच की गई, जिसके कारण उक्त गलती हुई है। उक्त से स्पष्ट है कि सभी लाभुकों का सत्यापन नहीं ढंग से नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अमर जॉन आईन्द, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अमर जॉन आईन्द, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMAR JOHN AIND 110071163098	श्री अमर जॉन आईन्द, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
